



उपस्थिति-

- 1-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 2-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या--222 / 2025

सचिव रानीखेत क्लब,
द माल, रानीखेत
जिला- अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत, जिला-अल्मोड़ा,

प्रतिवादी

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संस्थान रानीखेत क्लब में स्थापित संयोजन संख्या आरएन6 1246049018 के सापेक्ष जनवरी 2024 में 34418 यूनिट का 280471 रु0 का बिल प्राप्त हुआ है जबकि विगत में रु0 3000-5000 के बिल प्राप्त हुए हैं जिनका भुगतान ससमय किया जाता रहा है। उन्होंने बिलों को औसत आधार पर संशोधन के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 782 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की पहली सुनवाई तिथि दिनांक 27.02.2025 में वादी की तरफ से श्री राजेंद्र सिंह जैसवाल तथा विभाग की तरफ श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। वादी का कहना है कि उन्होंने उपरोक्त संयोजन के सापेक्ष दिनांक 11.11.2024 तक बिलों का पूरा भुगतान किया है जो कि विगत में दिसंबर 2023 से पहले, उनके बिल, रु0 10000 से कम आते रहे हैं जिनका ससमय भुगतान किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 में एकाएक उनको 34418 यूनिट का रु0 280471 का बिल प्राप्त हुआ है जबकि इससे पहले उनका बिल 400 यूनिट का रु0 6477 प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि उनका बिल दिनांक 08.02.2025 तक रु0 493861 लंबित है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह 10 दिन के अंदर मीटर की एम.आर.आई कराकर तथा चेक मीटर लगाकर मीटर की सत्यता की जांच के साथ विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवाई तिथि 17.03.2025 से पहले प्रेषित करना सुनिश्चित करें। वादी को कहा गया था कि वह 50000 रु0 प्रोजेक्शनली 07 दिन के अंदर जमा करावें।

3. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2025 में वादी की तरफ से श्री राजेंद्र सिंह जैसवाल तथा विभाग की तरफ श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. उपस्थित हुए।

विभाग ने बताया कि वादी के मीटर की एम.आर.आई दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 01.03.2025 तक ही संभव हो पायी है जबकि विवाद जनवरी 2024 में 34418 यूनिट का रु0 280471 का बिल निर्गत होने से संबंधित है। वादी के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार वादी का विद्युत उपभोग लगभग 400-279-279-502-490-534-815-579-434-106- - - - प्रतिमाह रहा है जोकि जनवरी 2024 में विद्युत उपभोग एकाएक बढ़कर 3448 यूनिट अंकित हुआ है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि मीटर की एमआरआई जनवरी 2024 तक की जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि एक महिने में 34418 यूनिट का उपभोग रीडिंग की जंप की वजह से है या कोई अन्य कारण है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक मीटर की एमआरआई कर विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 26.03.2025 से पहले प्रेषित करना सुनिश्चित करें। वादी को कहा गया था कि वह 20000 रु0 प्रोजेक्शनली 07 दिन के अंदर जमा कराये।

4. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 26.03.2025 में वादी की तरफ से श्री. राजेंद्र सिंह जैसवाल तथा विभाग की तरफ श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि विभागीय स्तर पर मीटर की एमआरआई संभव नहीं हो पा रही है जिसकी एमआरआई के लिए, मीटर को, मीटर मेक कंपनी एलएण्डटी को भेजा जा रहा है। वादी का कहना था कि उनके परिसर में कोई अतिरिक्त बिजली उपकरण, लाइट पाइंट नहीं लगाये गये हैं। अतः उनका बिल, विगत में निर्गत किये गये बिल यूनिट के आधार पर संशोधित किया जाए। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर मेक कंपनी से एमआरआई कराकर तथा स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 16.04.2025 से पहले प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

5. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 16.04.2025 में वादी की तरफ से फोन पर, किसी आवश्यक कारणवश सुनवायी विस्तार के लिए सूचित किया गया था। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. ने अपने पत्रांक संख्या 62 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा सूचित किया कि स्थलीय निरीक्षण में वादी का कुल विद्युत भार लगभग 8.10 किलोवाट पाया गया। उन्होंने यह भी कहा यह विद्युत भार अप्रैल माह का है जिसके ठंड के महिनो में हीटर इत्यादी के कारण काफी परिवर्तित होने की संभावना है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि संपूर्ण विश्लेषण कर विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 02.05.2025 से पहले प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

6. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 02.05.2025 में वादी की तरफ से श्री राजेंद्र सिंह जैसवाल तथा विभाग की तरफ श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि मीटर की एमआरआई प्रक्रियाधीन है जिसके लिए उन्हें 15 दिनों का समय विस्तार चाहिए। अगली सुनवायी की तिथि 19.05.2025 नियत की गयी थी।

7. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 19.05.2025 में वादी की तरफ से श्री राजेंद्र सिंह जैसवाल तथा विभाग की तरफ श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि मीटर की एमआरआई अभी प्रक्रियाधीन है और रिपोर्ट प्रतीक्षित है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि एमआरआई रिपोर्ट के साथ अपनी आख्या मंच की अगली सुनवायी की तिथि 02.06.2025 से पहले भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में गुण अवगुण के आधार पर वाद का निस्तारण कर दिया जाएगा।

8. मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 02.06.2025 में वादी की तरफ से श्री राजेंद्र सिंह जैसवाल तथा विभाग की तरफ श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि अभी भी मीटर की एमआरआई प्रक्रियाधीन है। विभाग को पुनः निर्देशित किया गया था कि मीटर की एमआरआई कराकर तथा संपूर्ण विश्लेषण कर विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 17.06.2025 से पहले प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

9.मंच की अगली सुनवाई तिथि दिनांक 17.06.2025 में वादी की तरफ से श्री राजेंद्र सिंह जैसवाल तथा विभाग की तरफ श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि हर संभव प्रयास के बावजूद 01.05.2024 से पहले की एमआरआई संभव नहीं हो पायी है। संबंधित अवधि -जनवरी 2024 की एमआरआई उपलब्ध न होने पर यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जनवरी 2024 में अंकित 34418 का विद्युत उपभोग, मीटर में डंप रीडिंग की वजह से हैं या मीटर में किसी तकनीकी खराबी की वजह से, रीडिंग जंप हुयी है। विभाग ने बताया कि वादी के परिसर पर पुराने मीटर के स्थान पर नया स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह न्यायहित में होगा कि स्मार्ट मीटर के 03 महीने के औसत के आधार पर संभावित डंप/जंप अवधि का पुनः निर्धारण किया जाए। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह स्मार्ट मीटर के 03 माह के पूर्ण होने के पश्चात् 10 दिन के अंदर वादी को संशोधित बिल प्रस्तुत करें। अगली सुनवायी की तिथि 07.07.2025 नियत की गयी थी।

10.मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 07.07.2025 में में वादी की तरफ से श्री राजेंद्र सिंह जैसवाल तथा विभाग की तरफ श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के परिसर पर स्मार्ट मीटर के 03 महीने के विद्युत उपभोग के आधार पर संभावित डंप/ जंप अवधि का पुनः निरीक्षण किया गया है जिसके अनुसार 02.04.2025 तक वादी का संशोधित बिल रु0 93958.81 बनता है जोकि सही है और देय है। विभाग ने इस संशोधन का एक कैलकुलेशन पेपर प्रेषित किया है जिसके अनुसार, स्मार्ट मीटर के 03 महीने के औसत के आधार पर प्रकरण में विवादित माह जनवरी 2024 में 34418 यूनिट के सापेक्ष औसत 963 यूनिट्स पर बिल की गणना की है। इस औसत के आधार पर जनवरी 2024 में, एनर्जी चार्जजिस रु0 6452.1 + Electricity Duty रु0 144.45+Fuel power Purchase Cost adjustment 365.94+Green Energy Chareges रु0 96.3+ Fixed Cost 760= 7818.79 का बिल बनता है, इसमें जनवरी के पश्चात्, रु0 86140 के बिलों को जोड़कर, 02.04.2025 तक कुल बिल रु0 93958.81 बनता है।

आदेश

विभाग द्वारा वादी के परिसर पर स्थापित स्मार्ट मीटर में दर्शाये गये 3 महीने के विद्युत उपभोग के आधार पर बिल का पुनः निरीक्षण किया गया। स्मार्ट मीटर के विद्युत उपभोग के आधार पर विवादित जनवरी 2024 में अंकित 34418 को संशोधित करते हुए तथा वादी द्वारा विगत में किये गये रु0 107500.00 के भुगतान का समायोजन करने के पश्चात् दिनांक- 02.04.2025 तक वादी का कुल बिल रु0 93958.81 बनता है जो सही है और देय है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 10 दिन के अन्दर वादी को संशोधित बिल उपलब्ध कराये, जिसे वादी द्वारा 15 दिन के अन्दर जमा किया जायेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 07.07.2025

बी0 एस0 बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य

ओ0पी0 दीक्षित
तकनीकी सदस्य



उपस्थिति-

- 1-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 2-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-236/2025

श्री राकेश कुमार साह,
निवासी-खजांची मौहल्ला,
जिला- अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला-अल्मोड़ा,

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्हें खजांची मौहल्ला स्थित, गोदाम हेतु संयोजन की आवश्यकता है जिसके लिए उनका मकान मालिक के साथ आजीवन का अनुबंध है उन्होंने नया संयोजन दिलवाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 845 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की पहली सुनवाई तिथि 02.05.2025 में वादी की तरफ से श्री राकेश कुमार साह उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. ने बताया कि भवन स्वामी की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसों का एनओसी उपलब्ध ना होने तथा परिसर में लगभग ₹0 30000.00 बकाया होने की वजह से वादी का संयोजन निर्गत नहीं किया गया है। वादी को कहा गया था कि वह किरायेदारी का वैधानिक दस्तावेज और एनओसी के साथ नये संयोजन के लिए आवेदन करे। विभाग को कहा गया था कि भवन में शेष बकाया राशि के लिए, संबंधित संयोजन के वैनीफिशयरी से प्रोराटा के आधार पर वसूली करें। अगली सुनवायी तिथि 19.05.2025 नियत की गयी थी।

3. मंच की अगली सुनवाई तिथि 19.05.2025 में वादी की तरफ से श्री राकेश कुमार साह तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. उपस्थित हुए। वादी ने बैंक स्टेटमेंट की प्रतिलिपि दी थी जोकि 03.05.2024 तक की थी जिसमें 10.02.2020, 05.03.2020 तथा 18.03.2020 के ट्रांजेक्शन श्रीमती नंदा देवी के नाम से दिखाया गये थे। वादी का कहना है कि मकान मालिक की मृत्यु हो चुकी है। तथा सात साल की एक नाबालिक लड़की गोद ली हुयी बतायी गयी है।

28/3/25

28/3/25

वादी ने कुछ पुरानी किराये की रसीदे दिखायी थीं जिसके लिए वादी को कहा गया था कि वह पत्र के माध्यम से सेल्फ वेरीफाई प्रतिलिपि प्रेषित करें। विभाग ने बताया था कि वादी के परिसर पर पुराने संयोजन के सापेक्ष रु0 30000.00 बकाया है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह स्थलीय निरीक्षण कर बकाये बिल को बेनिफिशरीज के विवरण के साथ विस्तृत आख्या मंच के समक्ष 10 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि दिनांक 02.06.2025 नियत की गयी थी।

4..मंच की अगली सुनवाई तिथि 02.06.2025 तथा 17.06.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. ने बताया की परिसर के सह किरायेदार श्री अभय साह द्वारा उन्हें बताया गया था कि उन्होंने मकान मालकिन श्रीमती नंदा की मृत्यु से .02 महिने पहले, मकान अपने नाम करा लिया था और उन्होंने वादी को नये संयोजन निर्गत करने के लिए आपत्ति की हैं। वादी को कहा गया था कि वह उक्त परिसर में नये संयोजन के लिए किरायेनामे की प्रतिलिपि, पिछले 06 महिने में निर्गत किराये की रसीद अथवा अन्य कोई वैध दस्तावेज मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। मंच की अगली सुनवायी तिथि दिनांक 07.07.2025 नियत की गयी थी।

5..मंच की अगली सुनवाई तिथि 07.07.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. ने बताया कि वादी ने अभी तक निर्धारित प्रपत्र प्रेषित नहीं किये हैं। वादी को निर्देशित किया गया था कि वह दिनांक 02.06.2025 की सुनवायी के क्रम में 15 दिन के अंदर आवश्यक दस्तावेज प्रेषित करें। अगली सुनवायी तिथि दिनांक 29.07.2025 नियत की गयी थी।

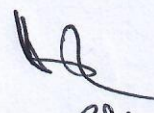
6..मंच की अंतिम सुनवाई तिथि 29.07.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री अजय भारद्वाज एस.डी.ओ. मयू श्री जीवन जोशी, कार्यालय सहायक द्वितीय, उपस्थित हुए। यह प्रकरण श्री राकेश कुमार साह के नाम से, किरायेदार के रूप में, नया विद्युत संयोजन देने से संबंधित है। मंच के समक्ष विगत में हुयी सुनवाइयों में वादी को कहा गया था कि वह किरायेदार के रूप में वैध दस्तावेज यथा किराये की रसीद/एनओसी तथा रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक या उनके वैध वारिसों से प्रेषित करें, लेकिन बार बार सूचित करने के पश्चात् भी वादी द्वारा उचित दस्तावेज प्रेषित नहीं किये गये हैं। वादी को पुनः कहा जाता है कि वह विभाग की पॉलिसी के अनुसार किरायेदारी के वैध दस्तावेज मयू निर्धारित फॉर्म के साथ 15 दिन के अंदर अधिशासी अभियंता/उपखंड अधिकारी वि0 वि0 खंड अल्मोड़ा को प्रेषित करें ताकि निर्धारित अवधि में विभाग द्वारा नया संयोजन निर्गत किया जा सकें।

आदेश

यह प्रकरण श्री राकेश कुमार साह के नाम से, किरायेदार के रूप में, नया विद्युत संयोजन निर्गत करने से संबंधित है। मंच के समक्ष विगत में हुयी सुनवाइयों में वादी को कहा गया था कि वह किरायेदार के रूप में वैध दस्तावेज यथा किराये की रसीद/एनओसी तथा रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक या उनके वैध वारिसों से प्रेषित करें, लेकिन बार बार सूचित करने के पश्चात् भी वादी द्वारा उचित दस्तावेज प्रेषित नहीं किये गये हैं। वादी को पुनः कहा जाता है कि वह विभाग की पॉलिसी के अनुसार किरायेदारी के वैध दस्तावेज मयू निर्धारित फॉर्म के साथ 15 दिन के अंदर अधिशासी अभियंता/उपखंड अधिकारी वि0 वि0 खंड अल्मोड़ा को प्रेषित करें ताकि निर्धारित अवधि में विभाग द्वारा नया संयोजन निर्गत किया जा सकें। विभाग को कहा जाता है कि भवन में पुराने संयोजन के सापेक्ष बकाया राशि को संबंधित संयोजन के वैनीफिशरी से प्रोराटा के आधार पर वसूली करें।

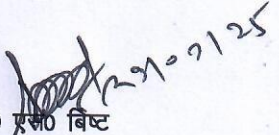
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

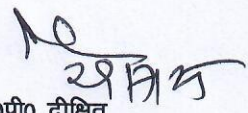
 29/07/2025


29/7/25

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 29.07.2025


बी० प्र० बिष्ट
उपभाक्ता सदस्य


ओ०पी० दीक्षित
तकनीकी सदस्य



उपस्थिति-

- 1-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 2-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-237 / 2025

श्री दीपक सिंह ,पुत्र श्री गोविंद सिंह,
ग्राम-ध्याड़ी, पो0ऑ0-ध्याड़ी,
जिला- अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला-अल्मोड़ा,

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या ए0आर0 29716009141 के सापेक्ष अगस्त 2024 में उनका बिल रू0 10981 आया था जोकि जनवरी 2025 में अचानक रू0 68879 का निर्गत हुआ जबकि मीटर की रीडिंग 220 यूनिट थी। उन्होंने बताया कि उनके परिसर पर चेक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर उनका पुराना मीटर खराब पाया गया था। उन्होंने शिकायत के निवारण के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 857 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 02.05.2025 में वादी की तरफ से श्री दीपक सिंह तथा विभाग की तरफ श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. उपस्थित हुए। वादी का कहना था कि उनके बिल पहले रू0 300 से रू0 500 के बीच आते थे जोकि एकाएक अगस्त 2024 में यह रू0 10981 तथा इसके बाद अचानक जनवरी 2025 में यह रू0 68879 का निर्गत हुआ। विभाग ने बताया कि उनके परिसर पर चेक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर 30 प्रतिशत तेज पाया गया जिसकी वजह से मीटर को 04.01.2025 को बदल दिया गया था। विभाग ने बताया कि 30 प्रतिशत तेज मीटर का क्रेडिट देते हुए बिल रू0 4741 कम होकर रू0 67130 बना है जिस पर वादी सहमत नहीं था। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर की एम.आर.आई. कराकर, एम.आर.आई. रिपोर्ट के साथ विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 19.05.2025 से पहले प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 19.05.2025, 02.06.2025 तथा 17.06.2025 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. ने बताया कि विभागीय स्तर पर मीटर की एम.आर.आई संभव नहीं हो पा रही है तथा मीटर को मीटर मेक कंपनी को एम.आर. आई के लिए भेजा जा रहा है। वाद की अगली सुनवायी तिथि 07.07.2025 नियत की गयी थी।

29/07/25

29/07/25

4. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 07.07.2025 में वादी की तरफ से श्री दीपक सिंह तथा विभाग की तरफ श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि मीटर की एम.आर.आई की रिपोर्ट अभी भी प्रतिक्षित है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह एमआरआई रिपोर्ट के साथ अपनी आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 29.07.2025 से पहले प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में प्रकरण को गुण- अवगुण के आधार पर निस्तारित कर दिया जाएगा।

5. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि 29.07.2025 में वादी की तरफ से श्री दीपक सिंह तथा विभाग की तरफ से श्री अजय भारद्वाज एस.डी.ओ. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि मीटर की एम.आर.आई संभव नहीं हो पा रही है। विभाग ने बताया कि चेक मीटर लगाने के बाद मेन मीटर 30 प्रतिशत तेज पाया गया था और पुराना मीटर 04.01.2025 को बदल दिया गया था। वादी ने बताया कि उनका संयोजन 14.03.2025 को काट दिया गया है। वादी ने यह भी बताया कि विगत में उनके बिल रू0 100 से रू0 300 के बीच आते थे। विभाग को कहा जाता है कि वादी द्वारा रू0 2000 लम्सम् जमा कराने के पश्चात् उनके संयोजन को जोड़ दिया जाए। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह बदले गये मीटर की विद्युत उपभोग दिनांक 04.01.2025 से 04.03.2025 तक तथा संयोजन जोड़ने के पश्चात् तीन महिने अर्थात् कुल 05 महिने के विद्युत उपभोग के आधार पर खराब विद्युत बिल अवधि का पुनः निर्धारित कर 15 दिन के अंदर वादी को संशोधित बिल बिना ब्याजरहित प्रेषित करें तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

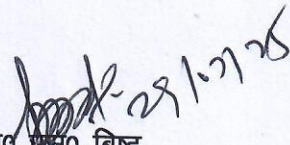
आदेश

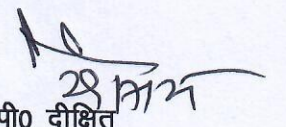
विभाग द्वारा बताया गया कि मीटर की एम.आर.आई संभव नहीं हो पा रही है। विभाग ने बताया कि चेक मीटर लगाने के बाद मेन मीटर 30 प्रतिशत तेज पाया गया था जिसकी वजह से पुराना मीटर दिनांक 04.01.2025 को बदल दिया गया था। वादी ने बताया कि उनका संयोजन 14.03.2025 को काट दिया गया है। वादी ने यह भी बताया कि विगत में उनके बिल रू0 100 से रू0 300 के बीच आते थे। विभाग को कहा जाता है कि वादी द्वारा रू0 2000 लम्सम् जमा कराने के पश्चात् उनके संयोजन को जोड़ दिया जाए। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह बदले गये मीटर की विद्युत उपभोग दिनांक 04.01.2025 से 04.03.2025 तक तथा संयोजन जोड़ने के पश्चात् तीन महिने अर्थात् कुल 05 महिने के विद्युत उपभोग के आधार पर खराब विद्युत बिल अवधि का पुनः निर्धारित कर 15 दिन के अंदर वादी को संशोधित बिल ~~बिना~~ ब्याजरहित प्रेषित करें तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 29.07.2025


बी० एस० बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य


ओ०पी० दीक्षित
तकनीकी सदस्य



उपस्थिति-

- 1-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-244/2025

श्री हरीश सिंह नगरकोटी,
ग्राम-भनरगांव पो 0 आँ0-गुड़कांडे
जिला-अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला-अल्मोड़ा,

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके आवासीय भवन ग्राम भनरगांव में विद्युत कनेक्शन संख्या-एआर. 11227409720 के सापेक्ष मीटर रीडिंग 4415 से जंप होकर 167993 हो गयी थी जिसको ठीक करने के लिए उन्होंने विभाग में आवेदन दिया था। विभाग ने दिनांक 04.03.2025 को नया मीटर लगा दिया था तथा उन्हें रु 1072248 का बिल प्राप्त हुआ है जबकि दिसंबर 2024 तक सभी बिलों का नियमित भुगतान किया गया है। वादी ने बिल ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 893 दिनांक 29.06.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिकांसी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की पहली सुनवाई तिथि 02.06.2025 में वादी की तरफ से श्री हरीश सिंह नगरकोटी तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. उपस्थित हुए। वादी का कहना है कि उनके विद्युत कनेक्शन संख्या-एआर. 11227409720 के सापेक्ष मीटर रीडिंग 4415 से जंप होकर 167993 हो गयी थी जिसको ठीक कराने के लिए उन्होंने विभाग में आवेदन दिया था। विभाग ने दिनांक 04.03.2025 को नया मीटर लगा दिया जिसके सापेक्ष उन्हें रु 1072248 का बिल प्राप्त हुआ है जबकि दिसंबर 2024 तक सभी बिलों का नियमित भुगतान किया गया है। विभाग का कहना है कि दिनांक 28.01.2025 में चेक मीटर लगाने पर मेन मीटर 14 प्रतिशत तेज पाया गया था जिसको खराब मानते हुए वादी का मीटर दिनांक 04.02.2025 को बदल दिया गया है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह उतारे गये मीटर की एम.आर.आई कराकर विस्तृत रिपोर्ट मंच की अगली सुनवायी तिथि 17.06.2025 से पहले प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

3. मंच की अगली सुनवाई तिथि -17.06.2025 में वादी की तरफ से श्री हरीश सिंह नगरकोटी तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि मंच के निर्देश दिनांक 02.06.2025 के अनुपालन में उतारे गये मीटर को एम.आर.आई के लिये भेजा गया है जिसकी रिपोर्ट प्रतिक्रिप्त है। विभाग को पुनः निर्देशित किया जाता है कि मीटर की एम.आर.आई कराकर विस्तृत रिपोर्ट मंच की अगली सुनवायी तिथि 07.07.2025 से पहले भेजना सुनिश्चित करें। विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अगली सुनवायी तक वादी की बिजली ना काटी जाए।

3. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि - 07.07.2025 में वादी की तरफ से श्री हरीश सिंह नगरकोटी तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर. उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि मंच के निर्देशानुसार मीटर की एम आर आई की गयी थी जिसमें आर.टी.सी फेल पायी गयी है और दिनांक 01.01.2000 से कोई डेटा एम आर आई में प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

विभाग का मानना है कि लाईटिंग की वजह से मीटर की रीडिंग में विगत में कुछ प्रकरणों में जंपिंग हुयी थी और आर टी सी फेल पायी गयी थी। ऐसी परिस्थिति में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि नये मीटर की 06 महीने के विद्युत उपभोग के आधार पर, तथा मौसमी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 06 महीने व्यतीत होने पर 15 दिन के अंदर वादी को संशोधित बिल उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर मंच के समक्ष अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश

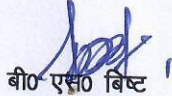
विभाग द्वारा बताया गया है कि मीटर की एम आर आई की गयी थी जिसमें आर.टी.सी फेल पायी गयी हैं और दिनांक 01.01.2000 से कोई डेटा एम आर आई में प्राप्त नहीं हो पा रहा हैं। विभाग का मानना है कि लाईटिंग की वजह से मीटर की रीडिंग में विगत में कुछ प्रकरणों में जंपिंग हुयी थी और आर टी सी फेल पायी गयी थी।

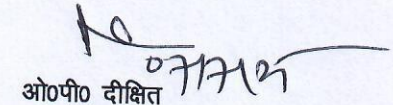
ऐसी परिस्थिति में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि नये मीटर की 06 महीने के विद्युत उपभोग के आधार पर, तथा मौसमी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 06 महीने व्यतीत होने पर 15 दिन के अंदर वादी को संशोधित बिल उपलब्ध कराएं तत्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर मंच के समक्ष अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

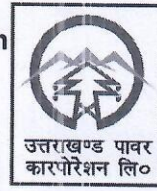
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 07.07.2025


बी० ए० सिंह
उपभोक्ता सदस्य


ओ०पी० दीक्षित
तकनीकी सदस्य



उपस्थिति-

- 1-ओपीओ दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 2-भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या-245/2025

श्री आनंद राम, पुत्र श्री नर राम,
ग्राम-पटुरा पो 0 ऑ 0- वैसीखेत,
जिला- अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला-अल्मोड़ा,

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनका बिल विगत में हर महीने 400-500 रु० आता था जिसे वह जमा करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा चैक मीटर लगाया गया था और उस समय वादी का बिल 240.00 रु० आया था जिसको जमा करा दिया गया था। वादी का कहना है कि इसके बाद उन्हें 13000.00 रु० का बिल प्राप्त हुआ है जिसे बार-बार संपर्क करने पर विभाग ने ठीक नहीं किया है। वादी ने बिल ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 898 दिनांक 05.06.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की पहली सुनवाई तिथि 17.06.2025 में वादी की तरफ से श्री किशन राम, भाई-वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री जीवन जोशी कार्यालय सहायक द्वितीय उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी के बिल जुलाई 2024 से पहले आर.डी.एफ के आधार पर निर्गत किये जा रहे थे जिसका संशोधन कर दिया गया है और मई 2025 तक का बिल रु० 9259 बना है। वादी का कहना है कि उसके बिल पहले 400-500 के आ रहे थे जो एकाएक बढ़कर रु० 13000 का हो गया है। वादी का कहना है कि उसके घर पर कोई भारी उपकरण नहीं लगा है तथा सिर्फ 4-5 बल्ब जलते हैं। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी के घर का स्थलीय निरीक्षण कर कनेक्टेड भार के साथ अपनी आख्या मंच की अगली सुनवाई तिथि -07.07.2025 से पहले प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

3. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि - 07.07.2025 में वादी की तरफ से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री किशन राम उपस्थित हुए। विभाग ने पिछली सुनवाई तिथि 17.06.2025 में बताया था कि वादी के बिल विगत में आर.डी.एफ. के आधार पर निर्गत हुए थे जिसमें संशोधन के पश्चात् नेट बिल रु० 9259 का बनता है। विभाग ने बताया कि कतिपय कारणों से वादी के परिसर का निरीक्षण नहीं हो पाया है। वादी ने बताया कि वह एक गरीब व्यक्ति है, और वह एकमुश्त उपरोक्त धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ है। उन्होंने उपरोक्त राशि को 09 समान किश्तों में, करेंट बिल के साथ जमा कराने का अनुरोध किया है, जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त राशि को 09 समान किश्तों में विभाजित कर करेंट बिल के साथ भुगतान करने की सुविधा प्रदान करें।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी के बिल विगत में आर.डी.एफ. के आधार पर निर्गत हुए थे जिसमें संशोधन के पश्चात् नेट बिल रु० 9259 का बनता है।

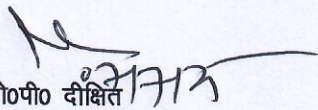
वादी ने बताया कि वह एक गरीब व्यक्ति है और वह एकमुश्त उपरोक्त धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ है। उन्होंने उपरोक्त राशि को 09 समान किश्तों में करेंट बिल के साथ जमा कराने का अनुरोध किया है जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त राशि को 09 समान किश्तों में विभाजित कर करेंट बिल के साथ प्रतिमाह भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराये।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक - 07.07.2025


बी० एस० बिष्ट
उपभोक्ता सदस्य


ओ०पी० दीक्षित
तकनीकी सदस्य